रामलल्लू बनाम रामजीलाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	5-2-2024 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है~~/अन्य कार्यों में व्यस्त है/~~का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9-2-2024 को पेश हो। रीडर
	9-2-2024 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है~~/अवकाश पर है/~~अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4-3-2024 को पेश हो। रीडर
04.3.24	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है~~/अन्य कार्यों में व्यस्त है/~~का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11.3.24 को पेश हो। रीडर
11-3-2024	वकील उभयपक्ष उप०। बहस को समय चाहते हैं। अतः वास्ते बहस पत्रावली दि० 12-3-2024 को पेश हो।
12-3-2024	वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय प्रा०पत्र T.I. पत्रावली दि० 20-3-2024 को पेश हो।
20-3-2024	वकील उभयपक्ष उप०। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 26-3-24 को पेश हो।
26-3-2024	वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। ~~बाद~~ पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

निर्णय न्यायालय श्री अनूप सिंह, आर0ए0एस0, उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
75/2022	27.7.2022	26.3.2024

1. रामचन्द पुत्र मूल्या, रैगर निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. कान्जी पुत्र मूल्या, रैगर निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
3. रामनिवास पुत्र प्रभू, रैगर निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4. टीकम पुत्र प्रभू, रैगर निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

रामजीलाल पुत्र प्रभात्या, रैगर निवासी बामनबडौदा तह0 गंगापुरसिटी——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री हरिशंकर शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 669 रकबा 0.48 है0 ग्राम बामनबडौदा में सहखातेदार प्रार्थीगण का 3/36 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का 15/36 वां हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 4 का 5/12 वां हिस्सा है एवं इसी अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अन्य दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं हैं। बाहमी बंटवारा अनुसार भूमि हाल ख0नं0 669 रकबा 0.48 है0 में से हिस्सा मुताबिक मौका सरस नरस प्रार्थीगण को गैर मुमकिन चाह की तरफ आम रास्ते की तरफ वाले भाग पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 21.7.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 भूमि का विभाजन कराए बिना ही दीगर व्यक्ति को प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर प्लाट काट कर सीमा चिन्ह अंकित कर रहा था तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा मैं तो ऐसे ही प्लाट काटूंगा, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यहां से चले जाओ नही तो जान से खत्म कर दूंगा जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का इस भूमि से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित होने का फायदा उठाकर अन्य व्यक्ति को बेचान की कार्यवाही कर रहा है जबकि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को ताफैसला दावा जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर के लिए पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित आराजी में से ख0नं0 669 रकबा 0.48 हे0 में से प्रार्थीगण का 3/36 वां हिस्सा बाहमी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

बंटवारे में आई भूमि अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से के कब्जे काश्त में जोतने, सिंचाई करने, फसल काटने, बीज बोने, उपयोग उपभोग व देखभाल करने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं पैदा करे न किसी अन्य से करावे। न ही किसी अन्य व्यक्ति को रहन व बेचान करे, ताफैसला दावा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने अपने जबाब में प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/36 हिस्सा है, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का हिस्सा नहीं है परन्तु प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा उक्त आराजियात पर नहीं रहा है। प्रार्थीगण का नाम जमाबंदी में सहवन से आ जाने के कारण प्रार्थीगण ने यह मुकदमा झूंठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। जबाब के विशेष विवरण में अप्रार्थी ने अंकित किया है कि उक्त आराजी सेटिलमेंट से पूर्व अप्रार्थी व दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 के पिता व प्रतिवादिया संख्या 3 के पती प्रभात्या के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है। सेटिलमेंट में प्रार्थी नम्बर 1 व 2 व प्रभू पुत्र मूल्या के नाम सेटिलमेंट अधिकारियों द्वारा लगा देने से व प्रार्थीगण की नियत में बेईमानी आ जाने के कारण भूमि को जबरन हडपने व हिस्सा लेने की गरज से यह दावा व प्रार्थना पत्र टी0आई0 बिना कब्जे के मनगढन्त तथ्यों को आधार बना कर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र टी0आई0 विरूद्ध अप्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 176 ग्राम बामनबडौदा प्रस्तुत की हैं।

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थी ने छायाप्रति नकल निर्णय दि0 14.7.97 न्यायालय उप जिलाकलक्टर गंगापुर सिटी मय डिक्री व जबाब दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)

अप्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 569 रकबा 0.48 है0 ग्राम बामनबड़ौदा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज है। अभिलेख के अनुसार भूमि अभी अविभाजित है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा होना अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज किया है जबकि अप्रार्थी ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है। अभिलेख के अनुसार भूमि अभी अविभाजित है ऐसी स्थिति में भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। हमारी राय में एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.2.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वैकेट किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.3.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (सवा०)